



केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX  
[केडर नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY]

हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE  
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004  
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

C.No.II/3/13/2016-Estt.

Date: 11-01-2019

**स्थापना आदेश ESTABLISHMENT ORDER (G.O.) NO.13/2019**

विषय: स्था.- केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति की अनुमानित तारीख वरिष्ठता का निर्धारण - संबन्धित

Sub:- Estt. - Deemed date of Promotion to the Cadre of Superintendent of Central Excise - Fixation of Seniority - Reg.

\*\*\*\*

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं. 22011/4/91 Estt(A) दिनांक 14-09-1992 के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वर्ग "ख" (राजपत्रित) के अधीक्षक के संवर्ग में दिनांक 23-09-2002 (अनुमानित तारीख), से पदोन्नत माना जाता है।

With the approval of the competent authority and in terms of DOP&T O.M.No 22011/4/91 Estt(A) dated 14-09-1992, following officer is promoted to the cadre of Superintendent of Central Excise, Group 'B' (Gazetted) on notional basis with effect from 23-09-2002(Deemed Date):

क्र.स Sl.No	अधिकारी का नाम सर्व श्री/श्री Name of the Officer S/Shri	वर्तमान में कार्य स्थान Present place of working
1	चुक्का विल्सन बाबू (अ.ज) Chukka Wilson Babu (SC)	गुंटूर Guntur

2. उपरोक्त अधिकारि को कल्पित पदोन्नति के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक संवर्ग से अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति के संबंध में, उनकी वरिष्ठता 29 और 30 जुलाई, 2002 को पदोन्नति के संबंध में आयोजित डीपीसी द्वारा चुनी गई पैनल के अनुसार होगी।

Consequent to the grant of notional promotion to the above mentioned officer, his seniority shall be placed as per the panel drawn by the DPC held on 29<sup>th</sup> & 30<sup>th</sup> July, 2002 in connection with promotion of Inspector of Central Excise to the grade of Superintendent of Central Excise.

[Continued on page 2]

3. उन्हे यह भी सूचित किया जाता है कि वे FR-22 I (a) (i) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए कार्यभार ग्रहण की तारीख से एक महीने में विकल्प चुन सकती हैं।

He is also informed that, he may exercise option within one month from the date of assumption of charge for fixation of pay under FR-22 I (a)(i).

  
(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (क व सत)  
ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

**प्रति To**

संबन्धित व्यक्ति को The Individual


(संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

**प्रतिलिपि अग्रेषित Copy submitted to :**

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद/विसखपट्टनम क्षेत्र।  
The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam zone.

**प्रतिलिपि Copy to :**

1. सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय कर, हैदराबाद/ विसखपट्टनम क्षेत्र।  
All the Principal Commissioners/Commissioners of Customs, Central Tax, Hyderabad / Visakhapatnam Zone.
2. सभी CAO/PAO, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद/विसखपट्टनम क्षेत्र।  
All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam zone.
3. महा सचिव, वर्ग "ख" राजपत्रित (कार्यकारी) अधिकारी संगठन, हैदराबाद/विसखपट्टनम क्षेत्र।  
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Gazetted (Executive) officer's Association, Hyderabad/Visakhapatnam zone.
4. महा सचिव, अ जा/ अ ज जा कल्याण संगठन, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/विसखपट्टनम क्षेत्र।  
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC/ST Employees Welfare Association, Hyderabad/Visakhapatnam zone.
5. स्टॉक फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.

  
(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (क व सत)  
ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)